



महात्मा ज्योतिबा फुले रूहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली
MAHATMA JYOTIBA PHULE ROHILKHAND UNIVERSITY, BAREILLY

पत्रांक: एम.जे.पी.रू.वि./कु.स.का./2021/300

दिनांक: 28.12.2021

सेवा में,

1. समस्त संकायाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष, विश्वविद्यालय परिसर।
2. प्राचार्य/प्राचार्या, समस्त सम्बद्ध महाविद्यालय, महा0ज्यो0फुले रूहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली।


विषय: कोरोना संक्रमण के सम्बन्ध में सतर्कता बरतने हेतु दिशा-निर्देश।

महोदय,

कृपया संलग्न उपर्युक्त विषयक श्री शमीम अहमद खान, सचिव, उच्च शिक्षा विभाग (अनुभाग-3) के पत्रांक संख्या 3111/सत्तर-3-2021-08(20)/2020, दिनांक 28.12.2021 एवं श्री राजेन्द्र कुमार तिवारी, मुख्य सचिव, गृह (गोपन) अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन के पत्रांक संख्या 2141/2021-सीएक्स-3, दिनांक 24.12.2021 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। जो कि विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों में कोरोना संक्रमण के सम्बन्ध में विशेष सतर्कता बरतने के सम्बन्ध में है। कृपया संलग्न शासनादेश का पालन करते हुये उक्त के सम्बन्ध में की गयी कृत कार्यवाही से अधोहस्ताक्षरी को अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

भवदीय


28/12/2021
कुलसचिव

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. वित्त अधिकारी।
2. परीक्षा नियंत्रक।
3. मीडिया प्रभारी।
4. सहायक कुलसचिव (प्रशासन/परीक्षा)
5. निजी सचिव कुलपति को मा0 कुलपति जी के संज्ञानार्थ।
6. प्रभारी, वेबसाइट।
7. वैयक्तिक सहायक कुलसचिव।


28/12/21
कुलसचिव

प्रेषक,

शमीम अहमद खान,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. निदेशक,
उच्च शिक्षा, उ0प्र0,
प्रयागराज।

2. कुलसचिव,
समस्त राज्य/निजी विश्वविद्यालय,
उत्तर प्रदेश।

उच्च शिक्षा अनुभाग-3

लखनऊ: दिनांक 28 दिसम्बर, 2021

विषय:-कोरोना संक्रमण के सम्बन्ध में सतर्कता बरतने हेतु दिशा-निर्देश।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कोरोना संक्रमण के प्रभावी नियंत्रण एवं रोकथाम के दृष्टिगत गृह गोपन अनुभाग-3 के पत्र संख्या-2141/2021-सीएक्स-3, दिनांक 24 दिसम्बर, 2021 (छायाप्रति संलग्न) का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों में कोरोना संक्रमण के सम्बन्ध में विशेष सतर्कता बरतने हेतु निम्नानुसार निर्णय लिया गया है :-

(1) विश्वविद्यालय/महाविद्यालय में समस्त सामाजिक/शैक्षिक/खेल/मनोरंजन/सांस्कृतिक एवं अन्य सामाजिक गतिविधियों को निम्न प्रतिबन्धों के अनुसार संचालित की जाएगी :-

(i) बन्द स्थानों में एक समय में अधिकतम 200 से अनधिक व्यक्तियों को मास्क की अनिवार्यता, दो गज की दूरी, सेनेटाइजर का उपयोग एवं कोविड-19 प्रोटोकाल के अनुसार अन्य सावधानियों के साथ अनुमति होगी। कोविड हेल्पडेस्क की स्थापना प्रवेश द्वार पर की जायेगी।

(ii) खुले स्थानों पर एक समय में ग्राउण्ड की क्षमता के 50 प्रतिशत तक व्यक्तियों को मास्क की अनिवार्यता, दो गज की दूरी, सेनेटाइजर का उपयोग एवं कोविड-19 प्रोटोकाल के अनुसार अन्य सावधानियों के साथ अनुमति होगी। कोविड हेल्पडेस्क की स्थापना प्रवेश द्वार पर की जायेगी।

(iii) आयोजन/समारोह स्थलों पर आमंत्रित अतिथियों के बैठने की व्यवस्था में दो गज की दूरी के प्रोटोकाल का पूर्णतः पालन किया जायेगा।

(iv) सभी आयोजक ऐसे कार्यक्रमों की सूचना अनिवार्य रूप से जिला प्रशासन एवं पुलिस को लिखित रूप से उपलब्ध करायेंगे। सभी आयोजकों की यह जिम्मेदारी होगी कि ऐसे कार्यक्रम में वह कोविड प्रोटोकाल का अनुपालन भी सुनिश्चित करायें।

(2) विश्वविद्यालय/महाविद्यालय तथा शिक्षण संस्थानों के कुलसचिव/प्रबन्धक एवं प्राचार्य विश्वविद्यालय/महाविद्यालय में छात्रों में मास्क की अनिवार्यता, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ-साथ सेनेटाइजर की व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी।

कृपया उपरोक्त दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,

(शमीम अहमद खान)
सचिव।

संख्या-3111 (1)/सत्तर-3-2021, तददिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- कुलपति, राज्य विश्वविद्यालय/निजी विश्वविद्यालय, उ0प्र0।
- 2- समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
- 3- समस्त क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, उ0प्र0।
- 4- गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(**अब्दुल समद**)
विशेष सचिव।

प्रेषक,

राजेन्द्र कुमार तिवारी,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त मण्डलायुक्त/अपर पुलिस महानिदेशक, समस्त जोन, उत्तर प्रदेश।
2. पुलिस आयुक्त, लखनऊ/गौतमबुद्धनगर/कानपुर नगर/वाराणसी।
3. समस्त पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उप महानिरीक्षक, रेंज, उत्तर प्रदेश।
4. समस्त जिलाधिकारी/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक/मुख्य चिकित्साधिकारी, उत्तर प्रदेश।

गृह (गोपन) अनुभाग-3

दिनांक: 24 दिसम्बर, 2021

विषय:-कोरोना संक्रमण के संबंध में सतर्कता बरतने हेतु दिशा-निर्देश।

महोदय,


कृपया गृह (गोपन) अनुभाग-3 के आदेश संख्या-1054/2021-सीएक्स-3, दिनांक 19.06.2021 तथा 1698/2021-सीएक्स-3, दिनांक 27.09.2021 के क्रम में सम्यक् विचारोपरान्त वर्तमान में कोरोना संक्रमण के संबंध में दिनांक 25.12.2021 की रात्रि से विशेष सतर्कता बरतने हेतु निम्नानुसार निर्णय लिया गया है:-

- (1) सार्वजनिक स्थानों पर मास्क की अनिवार्यता को प्रभावी रूप से सुनिश्चित किया जाये। इसे सुनिश्चित करने के लिए सार्वजनिक स्थानों पर जिला प्रशासन व पुलिस लगातार अनुश्रवण करेंगे।
- (2) कोविड संक्रमण की स्थिति को देखते हुये रात्रि 11:00 बजे से प्रातः 5:00 बजे तक रात्रिकालीन कोरोना कर्फ्यू लागू रहेगा। रात्रिकालीन कर्फ्यू की अवधि में आवश्यक सेवायें एवं मालवाहक वाहनों, एम्बुलेंस आदि को आने-जाने की अनुमति होगी। साथ ही कोविड से जुड़े कार्मिक, पुलिस कर्मी और रात्रि उद्योगों से संबंधित कर्मियों को उनकी आई0डी0 के आधार पर आने-जाने की अनुमति होगी।
- (3) बाजारों में "मास्क नहीं तो सामान नहीं", के संदेश के साथ व्यापारियों को जागरूक किया जाय। बिना मास्क के कोई भी दुकानदार ग्राहक को सामान न दें।
- (4) शापिंग माल्स/सुपर मार्केट में बिना मास्क विचरण न किया जाय। शापिंग माल्स/सुपर मार्केट को मास्क की अनिवार्यता, दो गज की दूरी, सैनेटाइजर की व्यवस्था व कोविड हेल्प डेस्क के साथ ही खोलने की अनुमति होगी।
- (5) निगरानी समितियों ने कोरोना प्रबन्धन में सराहनीय कार्य किया है। कोविड के संक्रमण के दृष्टिगत गाँवों एवं शहरी वार्डों में निगरानी समितियों को पुनः एक्टिव किया जाए। इस सम्बन्ध में स्वास्थ्य विभाग के परामर्श से ग्राम्य विकास एवं नगर विकास विभाग द्वारा तत्काल निर्देश जारी किये जायेंगे, जिनका जिले स्तर पर प्रतिदिन अनुश्रवण किया जायेगा।
- (6) शादी समारोह व अन्य आयोजनों में व्यक्तियों की उपस्थिति निम्नवत् शर्तों/प्रतिबन्धों के अनुसार रहेगी:-
 - (i) बन्द स्थानों में एक समय में अधिकतम 200 से अनधिक आमंत्रित अतिथियों को मास्क की अनिवार्यता, दो गज की दूरी, सैनेटाइजर का उपयोग एवं कोविड-19 प्रोटोकाल के अनुसार अन्य सावधानियों के साथ अनुमति होगी। कोविड हेल्पडेस्क की स्थापना प्रवेश द्वार पर की जायेगी।
 - (ii) खुले स्थानों पर एक समय में ग्राउण्ड की क्षमता के 50 % तक आमंत्रित अतिथियों को मास्क की अनिवार्यता, दो गज की दूरी, सैनेटाइजर का उपयोग एवं कोविड-19

प्रोटोकाल के अनुसार अन्य सावधानियों के साथ अनुमति होगी। कोविड हेल्पडेस्क की स्थापना प्रवेश द्वार पर की जायेगी।

- (iii) आयोजन/समारोह स्थलों पर आमंत्रित अतिथियों के बैठने की व्यवस्था में दो गज की दूरी के प्रोटोकाल का पूर्णतः पालन किया जायेगा।
- (iv) सभी आयोजक ऐसे कार्यक्रमों की सूचना अनिवार्य रूप से जिला प्रशासन एवं पुलिस को लिखित रूप से उपलब्ध करायेंगे। सभी आयोजकों की यह जिम्मेदारी होगी कि ऐसे कार्यक्रम में वह कोविड प्रोटोकाल का अनुपालन भी सुनिश्चित करायें।
- (7) जनपदों में जिलाधिकारी विदेश से आने वाले यात्रियों के लिए भारत सरकार की गाइडलाइन्स का पालन सुनिश्चित करेंगे, हाई रिस्क वाले देशों के यात्रियों का अनिवार्य रूप से आर0टी0पी0सी0आर0 टेस्ट कड़ाई से किया जाये तथा अन्य देशों के भी विदेशी यात्रियों का रेन्डम सैम्पल लेकर आर0टी0पी0सी0आर0 टेस्ट प्रभावी रूप से किया जाये।
- (8) जनपदों में जिलाधिकारी अन्य प्रदेशों से आने वाले यात्रियों के संबंध में निगरानी समिति से रिपोर्ट लेकर उनका आर0टी0पी0सी0आर0 टेस्ट कराया जाना सुनिश्चित करेंगे। साथ ही साथ रेलवे एवं बस स्टेशनों पर एण्टीजन टेस्टिंग की प्रभावी व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे एवं संदिग्ध यात्रियों का विवरण लेकर आर0टी0पी0सी0आर0 टेस्ट कराये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे।
- (9) समस्त जिलाधिकारी जनपदों में इन्टीग्रेटेड कोविड कमाण्ड कंट्रोल सेन्टर (ICCC) के माध्यम से प्रभावी रूप से ट्रैक-टेस्ट-ट्रीटमेन्ट की कार्यवाही करायेंगे। इस संबंध में जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं मुख्य चिकित्साधिकारी प्रतिदिन व्यक्तिगत रूप से अपनी उपस्थिति सुनिश्चित कर अनुश्रवण करेंगे।
- (10) स्कूल, कालेज तथा शिक्षण संस्थान के प्रबन्धक एवं प्रधानाध्यापक स्कूल/कालेजों में छात्रों में मास्क की अनिवार्यता, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ-साथ सेनेटाइजर की व्यवस्था सुनिश्चित करायेंगे।
- (11) कोरोना के रोकथाम हेतु स्थायी एवं अस्थायी पब्लिक एड्रेस सिस्टम का पुनः प्रभावशाली रूप से व्यापक उपयोग कर जन सामान्य को जागरूक किया जाये एवं पी0ए0 सिस्टम की सूचना गृह विभाग को दिनांक 28.12.2021 तक गृह कंट्रोल रूम की ई-मेल आई0डी0 shome@nic.in पर उपलब्ध करायी जाय।
- (12) इस संबंध में गृह विभाग के अतिरिक्त नगर विकास विभाग, ग्राम्य विकास विभाग एवं औद्योगिक विकास विभाग द्वारा यह सुनिश्चित किया जाय कि प्रत्येक औद्योगिक इकाई में कोविड हेल्प डेस्क एवं कोविड केयर सेन्टर की व्यवस्था की जाय एवं प्रतिदिन की रिपोर्ट औद्योगिक विकास विभाग को उपलब्ध करायी जाय।
- (13) अपर पुलिस महानिदेशक, रेलवे जनपदीय प्रशासनिक पुलिस एवं स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित करते हुए करते हुए रेलवे स्टेशनों पर स्कीनिंग की कार्यवाही की सूचना प्रतिदिन उपलब्ध करायेंगे।
- (14) प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 परिवहन निगम प्रतिदिन बस स्टेशनों पर की गयी स्कीनिंग की सूचना गृह विभाग को उपलब्ध करायेंगे एवं परिवहन निगम एवं उसमें अनुबन्धित बसों में सेनेटाइजर एवं मास्क की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे।
- (15) निजी बसों के संबंध में परिवहन आयुक्त सभी निजी बस आपरेटरों से समन्वय स्थापित करते हुए निजी/प्राइवेट बसों में कोरोना प्रोटोकाल का अनुपालन सुनिश्चित करायेंगे। इससे संबंधित सूचना गृह विभाग को उपलब्ध करायेंगे।
- (16) समस्त औद्योगिक इकाईयों को रात्रि कालीन कर्फ्यू से पूर्णतया छूट रहेगी।


कृपया उपरोक्त दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराया जाय।


26.12.21
(राजेन्द्र कुमार तिवारी)
मुख्य सचिव।

संख्या-2141(1)/2021-सीएक्ट-3 तददिनांक।

प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचनाएं एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अपर मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश शासन।
2. प्रमुख स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन
3. सनस्त अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव / सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
4. अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य / नगर विकास / ग्राम्य विकास विभाग कृपया अपने स्तर से आदेश जारी करने का कष्ट करें।
5. पुलिस महानिदेशक / पुलिस महानिदेशक, अग्निशमन सेवाएं, उत्तर प्रदेश।
6. परिवहन आयुक्त, उ०प्र० लखनऊ।
7. प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० राज्य सड़क परिवहन निगम, लखनऊ
8. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(अवनीश कुमार अवरथी)
अपर मुख्य सचिव